For General & Prescribed Reserved Category



Adding colours of reality to your dreams!

Yamuna Expressway Industrial Development Authority offers

1BHK & 2BHK Multistorey Flats
Scheme in Sector- 22D





TERMS AND CONDITIONS FOR ALLOTMENT OF MULTISTOREY FLATS

IN
SECTOR – 22D
OF
YAMUNA EXPRESSWAY AREA

IMPORTANT DATES FOR BHS - 03/2014

Scheme opens on 12.06.2014

Scheme closes on 21.07.2014

Allotment on draw basis

Draw of lots is expected in Month of October, 2014



A. Scheme Details

Scheme Name: Built up Flats - 03 Scheme Code: BHS - 03/2014

A.1. Details of Flats :-

Property Code	Type of Flats	Total Area In Sgm	No. of Flats	Tentative E of Fla	Registration Money	
Oode		III Oqiii	Tiats	Ground Floor	1 st / 2 nd / 3 rd Floor	(₹ in Lakh)
01	1 BHK (affordable)	29.76	700	11.62	10.47	1.20
02	1 BHK (S+4)	54.75	1150	18	3.95	2.00
03	2 BHK (S+16)	99.86	570	31	.00	3.10

Basic Selling Price

- The above price / cost of the Flats are tentative and may vary at the time of handing over possession of the Flats. The variation may be either due to enhancement in the construction and development cost of the Flats or due to liability on the part of the Authority to pay enhanced land compensation/acquisition cost/ex-gratia as per the order of the Court or by State Government or by the Authority themselves. The Lessee/Allottee do hereby agree and promise to share the proportionate increase and shall pay such enhancement as demanded by the Authority on or before execution of the Lease

 Deed.
- Service tax, if applicable, shall be borne by the allottee(s).

A.2 The above mentioned types of flats are to be constructed in Sector 22D. Plan of flats is provided in the booklet. It also consists of specification of the fitting & fixtures.

- In exigency partial changes can be done in designs of the flats and its lay-out.
- Authority undertakes to maintain the complex in the initial two years starting from the date on which the first lease deed and possession of the flat are given to
 the lessee. Thereafter it is mandatory that the lessee/owners of the flats will have to form RWA and shall ensure the upkeep and maintenance of the
 complex in all time a good and habitable condition. It is mandatory for every allottee/Lessee to become member of the Resident Welfare Society.
- For keeping the housing complex maintained in always a good and habitable condition for first two years lessees/flat owners have to deposit a lump sum fixed
 amount of Rs. 0.50 Lakh from 1 BHK (affordable) or Rs, 1 Lakh for 1 BHK(S+4) and Rs. 1.50 Lakh for 2 BHK (S+16) in the "maintenance corpus" to be opened
 and maintained by the Yamuna Expressway Industrial Development Authority. The charges shall be payable on or before the execution of the lease deed of
 the flat
- After 02 years from the date of handing over possession to the first person of the Scheme general maintenance work will be taken over by the Resident Welfare
 Association from the Authority. After that the expenses to be incurred on general maintenance will be borne by the Society by its own sources fixing with the
 consent of the allottees.
- In case there is a delay in formation of RWA, then Authority shall maintain the complex at the cost & expenses of the allottees/Lessee. The allottees/lessee shall be bound to pay the monthly charges as fixed by the authority.
- Authority is providing a secure campus to the residents of the complex by providing boundary wall, a guard room and earmarking the space for community
 center and a small play ground apart from a space on sale for commercial and nursery school within the complex/premises.
- The community centre may be transferred to any outside agency, to develop and construct and to own, manage and operate such facilities on such terms and conditions as the Authority deem fit at its sole discretion. The allottees shall have the right to use such facilities subject to rules and regulations of the community center, including payment of requisite charges /fee as may be imposed from time to time by the authority or the competent person in this behalf.
- In the flats fire safety and in the complex provision for rainwater harvesting is made.
- · Number of Multi Storey flats may increase or decrease at the time of draw.

A.3. Other Charges & Availability of flats in housing complex:-

• These charges are over and above the basic selling price of the flats and are applicable in the mentioned categories only.

1 Preferential Location Charges (PLC) For 1 BHK (S+4) Flats:-

- · For 1st floor PLC charges @100/- Sqft.
- · For 2nd floor for PLC charges @ 50/- Sqft.
- · Above 2nd floor no extra charge on flats.

2 Preferential Location Charges (PLC) For 2 BHK (S+16) Flats:-

- · For 1st & 2nd floor PLC charges @100/- Sqft.
- For 3rd & 4th floor PLC charges @ 75/- Sqft.
- For 5th & 6th floor for PLC charges @ 50/- Sqft.
- · Above 6th floor no extra charge on flats



3. No PLC charge for 1 BHK (affordable)

4. Car Parking For 1 BHK (S+4) & 2 BHK (S+16) flats:-

- In the complex covered area (stilt) car spaces are limited. It is therefore recommended to have stilt car parking space booked at the time of submitting initial application form, for which the separate column of car parking is available with the brochure, Applicant who are interested in stilt car parking can fill that column. if car parking column will not be filled up by applicant. They will not get the car parking facility in future
- Applicant can apply only for one car parking and not more than that, that too will be allocated via draw of lots.
- Stilt car parking spaces are available on sale for price of ₹ 1.00 Lakh per car parking space.
- Stilt/Covered Car parking space is to be allocated block wise via draw of lots and the cost/price shall be payable within 30 days of its allocation in lump sum

B. Prescribed Reserve Category

SI. No.	Reserved Category	Percentage of Reservation
	Farmers whose land has been acquired for the planned development of Yamuna Expressway Industrial Development Authority	17.5 %
2	Functional Institutional Units allotted by Yamuna Expressway Industrial Development Authority	5 %
	Total	22.5%

Note:

- 1. Out of the Multi Storey flats reserved for Institutional functional units/establishments and farmers whose land has been acquired 18% Multi Storey flats will be reserved for SC/ST applicants.
- 2. Keeping in view the provision under section 43 of THE PERSONS WITH DISABILITIES ACT, 1995 and decision taken in 49th Board of under dated 12.02.2014 a total 3% horizontal reservation shall be kept in other reserved categories as defined above and in unreserved (general) categories as well.
- 3. Handicapped/SC/ST applicants of the aforesaid categories shall have to enclose an attested copy of the certificate issued by the Competent Authority otherwise he/she shall not be given the benefit of reservation.
- 4. If the applications received are less then the Multi Storey flats reserved under any reserved category, the remaining Multi Storey flats will be transferred to General Category at the time of draw of lots.

Eligibility

B.1 General Category

- 1. The applicant should be an Indian citizen and competent to contract and have attained the age of majority.
- 2. He/she should not earlier been allotted plot/flat, in full or in part, on lease hold or free hold basis or under HPTA (Hire Purchase Tenancy Agreement), License Agreement by the Yamuna Expressway Industrial Development Authority either in his/her name or his/her spouse name or in the name of his/her minor or dependent children, under this category.
- 3. Applicant, his/her spouse or his/her dependent children can apply only one flat. If it is found at later stage that an applicant his/her spouse or his/her dependent children have applied to more than one flat, than all the application/allotment shall be cancelled & registration money shall be forfeited in the Authority.

B.2 Eligibility for prescribed Reserved Category Applicants

- 1. The applicant should be competent to contract and have attained the age of majority.
- 2. Only such applicants/institutional establishments or their managing Director/whole time Director(s)/Proprietor/Partner(s)/Trustee(s) and Tenure-holders/Cotenure Holders of the land acquired by Yamuna Expressway Industrial Development Authority shall be eligible, provided they have not been allotted any residential plot/flat in the earlier schemes of the Authority.

B.3 Eligible Bonafide Institution

Bonafide institution fulfilling the under mentioned conditions on or before closing date of the scheme will be eligible:

- The institution should have been allotted the institutional plot/premises in its name on or before 31-03-2014 & has taken physical possession of institutional
 plot/premises after legal documentation and has been declared functional from YEIDA on or before closing date of the scheme. The applicant has to enclose a
 certified copy of the functional certificate with the application form.
- The institutional establishment has cleared all payable dues of the Authority up to date on account of premium, lease rent, interest etc. by the closing date of scheme. Applicant has to enclose No Dues Certificate issued by the Authority with the application form.
- In case application is being made by Managing Director/Whole-time Director/Trustees/Executive member, their names should have been taken on record by the institutional Department of Yamuna Expressway Authority on or before closing of scheme.
- In case applicant is made by the Educational Institution, the names of their Directors / Trustees / Chairman / Vice-Chairman / Executive Members should have been taken on record of the Authority on or before closing date of the scheme. One application can be made by one institution.
- Such institutional establishment / their Director / Trustee / Executive Member shall not be eligible where the institutional Establishment has been obtained through transfer and past owner had already obtained a residential plot/flat.
- The eligibility for allotment of residential flat shall be for one flat only either in the name of institution or its Bonafide Managing Director/Whole-time Director/Trustee/Executive Member, irrespective of number of premises in possession of the institution.
- · Charitable/Religion institution and its members/trustees are not eligible for allotment of residential flat.
- The applicant company shall submit its Resolution to the effect that the company is applying in its name or Sole owner/Partner/Managing Director Full time Director and the same is authorized (name & designation) to apply and sign the application form.
- B.4 Eligible Farmers whose land has been acquired / purchased by Yamuna Expressway Industrial Development Authority, the detailed eligibility conditions and the procedure for allotment under this category are enumerated as below:-



- 1. Only those farmers are eligible to apply under this scheme, whose land has been acquired/purchased and unhindered/without encroachment possession has been taken by YAMUNA EXPRESSWAY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY on or before 31-03-2014 (Undertaking-I on Stamp Paper of ₹. 10/- is to be given by the applicant farmer as per Performa given in the Brochure).
- 2. In case a land owner has already been allotted residential flat/plot built up flats in his/ her name or his/her spouse/dependent children, in any of the residential schemes of the Authority, he/ she shall not be eligible to apply under this scheme.
- 3. In case there is more than one joint-khatedar, all joint khatedar can apply under this scheme. Draw between all such eligible joint khatedar of a khata shall be made and one successful applicant, out of all joint-khatedars, shall be selected and will be included in the final draw of lots.
- 4. Under this category, successful applicant/allottee can not transfer the allotted Multi Storey flat up to five years from the date of allotment.
- 5. No encroachment should have been done by the applicant on land acquired/purchased by Yamuna Authority irrespective of acquired land or any other land against which the application for allotment is being made in this Scheme. A declaration to this effect shall have to be given on Stamp Paper of ₹ 10/- by the applicant farmer as per Performa given in the application form (Undertaking-II).
- 6. The applicant/allottee has received entire compensation of the land acquired without any contest/protest. The applicant has to submit Form-11 issued by the Competent Authority with the application.
- 7. If, on verification or at any stage it is found that there is a violation of any of the above mentioned conditions then the application will be rejected and registration money will be refunded without any interest.

C. Procedure of Allotment

- Allotment would be made by the draw of lots within each eligible category. Firstly draw of lots shall be conducted to select successful applicant for the allotment.
 The draw of lots for allotment of specific Multi Storey flat numbers to the allottees shall be done after completion of the structure of the flats.
- If the applications received are less than the Multi Storey flats reserved under any reserved category, the remaining Multi Storey flats will be transferred to General Category Applicants at the time of draw of lots.

D. How to Apply

The application form can be purchased on payment of application-cum-processing fee of ₹ 1100/- from any of the Bank branches listed below. The form can also be downloaded from www.yamunaexpresswayauthority.com. In such case, please submit Demand Draft of ₹ 1100/- along with the registration amount towards the cost of brochure. The application form duly completed and signed along with the required registration money should be submitted to any of the listed Bank branches on or before closing date of the scheme. Applicants as per their eligibility should apply in the application form attached herewith along with Demand Draft /Pay Order on account of Registration Money, drawn in favour of "Yamuna Expressway Industrial Development Authority" payable at New Delhi/Noida/Greater Noida. The applications completed in all respect can be deposited in any of the Bank branches listed below.

· The acknowledgement receipt of the application form shall be given by the respective Banks.

D.1 For General or Reserve Category & Institutional Category Prescribed Banks :-

S. No.	Bank Code	Name & Address of the Bank/Branch
1	01	Axis Bank, K-21 & 22 Sector-18, Noida.
		 Axis Bank, 29,C.C. Basant Lok Complex, Vasant Vihar, New Delh
2	02	Allahabad Bank, Mandir Masjid Marg, Sector-31, Noida
		 Allahabad Bank, Hazrat Ganj, Post Box-09, Lucknow
3	03	 Bank of Baroda, First Floor, Commercial Complex, Block-P-02, Sector-Omega-I, Greater Noida
4	04	Federal Bank, Sector-22, Noida
5	05	HDFC Bank, C - 1, Alpha Plaza Alpha Commercial Belt Greater Noida
		 HDFC Bank, G- 28/29, First Floor, Sector- 18, Noida
		HDFC Bank, A24, Hauz Khas New Delhi-110016
		 HDFC Bank, 15 / 63 Krishna Towers Ground Floor Civil Lines Kanpur
		 HDFC Bank, Shop No. 3 / 4 / 11 Ground Floor, Block No. 17 / 2 / 4 Friends Plaza, Sanjay Palace Agra
		 HDFC Bank, 3 - 316, Bhalla Complex, Near Devtray Hospital Ramghat Road Aligarh
		 HDFC Bank, 169 / 2 Gaushala Road Bhuteshwar Road By Pass Road Mathura
6	06	 IndusInd Bank, Gopal Das Bhawan, Connaught Place, New Delhi
7	07	 Indian Bank, Jagat Farm, Sector-Gamma-01, Greater Noida
		 Indian Bank, AB-20, Safdarjung Enclave, New Delhi
8	08	ICICI Bank, P-2, Commercial Complex, Sector-Omega-I, Greater Noida.
		 ICICI Bank, K-1, Senior Mall, Sector-18, Noida.
9	09	Oriental Bank of Commercial, Jagat Farm, Sector- Gamma-01, Greater Noida



S. No.	Bank Code	Name & Address of the Bank/Branch	
10	10	 Punjab National Bank, C-13, Sector-01, Noida 	
11	11	 Punjab National Bank, D-1/1, Rana Pratap Bagh, New Delhi 	
12	12	 Punjab National Bank, Gurudwara Road, Karol Bagh, New Delhi. 	
13	13	 State Bank of India, Lagerstroemia Shopping Complex, Institutional Area, Greater Noida 	
		State Bank of India, H-4, Sector-11, Noida	
14	14	Union Bank of India, Sector-12, Noida	

D-2 For Reserved Farmers Category

S. No.	Bank Code	Name & Address of the Bank/Branch	
1	01	HDFC Bank, Alpha Commercial Belt Greater Noida	

E. Payment Plan:-

E.1. Ten Year Payment Plan with Interest (Payment Code - E.1) For 1 BHK (Affordable)

• In this plan, 30% of the total premium of the flat (after adjusting registration money already paid) shall be payable within 45 days from the date of allotment as allotment money. Balance 70% shall be payable in 20 equal half-yearly installments calculated from the 46th day from the date of allotment with interest @12% p.a. on reducing principal amount at the end of each half yearly

E.2. Eight Year Payment Plan with Interest (Payment Code - E.2) For 1 BHK (S+4) & 2 BHK (S+16)

• In this plan, 30% of the total premium of the flat (after adjusting registration money already paid) shall be payable within 45 days from the date of allotment as allotment money. Balance 70% shall be payable in 16 equal half-yearly installments calculated from the 46th day from the date of allotment with interest @12% p.a. on reducing principal amount at the end of each half yearly

NOTE:

- For the purpose of allotment letter date shall be reckoned as the date of allotment.
- For the purpose of documentation the date of execution of lease deed shall be reckoned as the date of taking over of possession.

F. Mode of Payment

- 1. All payments to the Authority can be made in the form of Demand Draft/Pay Order drawn in favour of "Yamuna Expressway Industrial Development Authority payable at New Delhi/Noida/Greater Noida". The payments shall be accepted directly at the Bank branches authorized in allotment letter.
- 2. Normally, no extension in due payments shall be allowed. If the amount payable to the Authority is not paid within the prescribed time limit, extension of time for such default period under exceptional circumstances may be allowed up to a maximum of 3 months by CEO (YEIDA), subject to the condition that during the entire payment plan such extensions shall not be more than three times. In the event of extensions, interest @ 15% per annum compoundable quarterly shall be payable on the defaulted amount for the defaulted period.
- 3. The payment made by allottee/lessee shall first be adjusted towards the interest due, if any, and thereafter the balance shall be adjusted towards the installment due and the lease rent payable.
- 4. The pre-payment in whole is allowed. Part payment is not allowed. No rebate shall be allowable in case of pre-payment. In case the allottee opts to pay the balance of the premium in a Lump sum, interest on the balance premium up to the date of deposit shall be chargeable.

G. Area

• The area of Multistorey flat allotted may slightly vary at the time of handing over of the possession. The premium of the Multistorey flats will proportionately vary due to such variation. If such variation is less than or equal to 10%, no change in location or surrender shall be allowed. However, if such variation is more than 10%, the allottee shall have the option of surrendering the allotment and take back entire money deposited by him/her with 4% simple interest.

H. As is where is Basis

The Multistorey flat will be accepted by the allottee on "as is where is basis" on lease for a period of 90 years unconditionally.

I. Unsuccessful Applicants

Those applicants who have not been allotted Multistorey flats will be returned their registration money without interest, if the period of deposit of such money with the Authority is less than one year. However, if the period of deposit is more than one year, 4% simple interest, shall be paid for the entire period of deposit.

J. Surrender

- 1. In case of surrender before draw/allotment of lots, the entire Registration Money deposited shall be refunded without interest.
- 2. In case of surrender after the draw/allotment of lots but within 30 days from the date of allotment, 10% of the Registration Money shall be forfeited and balance amount deposited shall be refunded without interest.
- 3. In case of surrender after the allotment/draw of lots but after 30 days but before 45 days from the date of allotment, 50% of the Registration Money shall be forfeited and balance amount deposited shall be refunded without interest.
- 4. In case the allotment is sought to be surrendered after 45 days but before 6 months from the date of allotment, 10% of the total premium of flat shall be forfeited. Balance amount, if any, shall be refunded without any interest. No separate notice shall be given for the same.
- 5. In case of surrender after six months from the date of allotment, entire deposited money shall be forfeited.



6. In case the allottee fails to deposit the due amount within the stipulated time, allotment will be liable for cancellation and in case of such cancellation, the money so deposited till the date of cancellation will be forfeited.

NOTE :-

• The date of surrender in the above cases shall be the date on which application is received at the Authority's office. No subsequent claim on the basis of postal certificate will be entertained.

Cancellation

In addition to the other specific clauses relating to cancellation, the Authority/Lessor, as the case may be, shall be free to exercise its rights of cancellation of allotment/lease in the case of :-

1. Allotment being obtained through misrepresentation/suppression of material facts.

2. Any violation of directions issued, or rules or regulations framed by the Authority or by any other statutory body.

3. Default on the part of the applicant/allottee/lessee for breach/violation of terms and conditions of registration/allotment/lease and/or non deposit of allotment amount.

In the event of cancellation, under sub-clause (1,2,3) above, the entire deposits till the date of cancellation shall be forfeited and possession of the Multistorey flat will be resumed by the Authority/Lessor with structure thereon, if any, and the allottee/lessee will have no right to claim any compensation thereof.

Period of Lease & Lease Rent

The allotment of Multistorey flat will be given to the allottee on a lease of 90 years and lease rent shall be payable in lump sum at the rate of 10% of the land price.

M. Execution of Agreement to Lease

• As per provision of Government Notification No. 3066/11-5-2009-500 (100)/2008 dated 12-6-2009 allottee has to execute an Agreement to Lease and get it registered with Sub Registrar, Gautam Budh Nagar, within six months from the date of allotment otherwise allottee shall have to pay stamp duty at circle rate at the time of execution/registration of Lease Deed. The copy of the Government Notification can be seen on the website of the Authority.

N. Execution of Lease Deed & Possession

The possession is likely to be offered to the allottees within a period of three years from the date of issue of allotment letter. The allottee will be required to enter into legal documentation (execution and registration of lease deed) and take possession of the Multistorey flat within a period of 60 days from the date of offer of possession/intimation to do so. In the event of failure to do so, allottee shall be liable to pay administrative charges at the rate of 1% of the total premium for the extension of one year from the due date given for the execution of legal documents. If the allottee fails, to execute legal documents within the extended time, action for cancellation of allotment and forfeiture of deposited money shall be taken.

Note:-

• For the purpose of documentation the date of execution of lease deed shall be reckoned as the date of taking over of possession.

O. Documentation Charges

The cost and expenses of preparation, stamping and registering the legal documents and its copies and all other incidental expenses will be borne by the allottee who will also pay the stamp duty of transfer of immovable property levied or any other duty or charge that may be levied by any authority empowered in this behalf.

1. The allottee/ lessee may, with the prior consent of the lessor, mortgage the Multistorey flat after execution of lease deed to any scheduled bank / financial institution for raising loan subject to such terms and conditions as may be decided by the authority/lessor at the time of granting the permission, provided that in the event of sale or fore closure of the mortgaged or charged property the lessor shall be entitled to claim and recover such percentage, as decided by the lessor, of the unearned increase in the value of said land as first charge, having priority over the said mortgage charge. The decision of the lessor in respect of the market value of the said land shall be final and binding on all the parties concerned, Provided further that lesser shall have pre-emptive right to purchase the mortgage or charged property after deducting such percentage as decided by the lessor of the unearned increase as aforesaid. The lessor's right to the recovery of the unearned increase and the pre-emptive right to purchase the property as mentioned herein before shall apply equally to involuntary sale or transfer, be it by or through execution of decree of insolvency/court.

2. The lessee/allottee shall not be allowed to change the specifications made in the Multistorey flat.

3. In case of any violation of any regulation/direction, the defect, if not compoundable could be got rectified by the Authority and the expenses incurred in carrying out such work will be recovered from the allottee/lessee.

Q. Transfer of Multistorey Flats

Q.1. Legal Heir

• The transfer of Multistorey flat to his / her legal heir will be allowed with prior permission of the Chief Executive Officer/or any officer authorized by CEO in this regard, subject to the fulfillment of prescribed conditions.

Q.2. Other than Legal Heirs

• The transfer of Multistorey flat to other than legal heirs will be allowed, after execution of lease deed, with prior permission of the Chief Executive Officer or any officer authorized by CEO in this regard. Such transfer of Multistorey flat may be considered on payment of prescribed transfer charges and fulfillment of the legal conditions as decided by the Chief Executive Officer, who shall have the power to reject or accept such request.

R. Misuse, Additions, Alteration Etc.

The allottee/lessee shall not use the Multistorey flat for any purpose other than residential. The lessee/allottee shall not be entitled to divide the Multistorey flat or amalgamate it with any other flat/flat(s) without the prior written permission of Chief Executive Officer or any officer authorized by the CEO in this case of violation of the above conditions, allotment shall be liable to be cancelled and possession of the premise along with structures thereon, if any, s h a I I b e resumed by the Authority.



S. Liability to Pay Taxes

The allottee/lessee will be liable to pay all rates, taxes, charges and assessment of every description imposed by any Authority empowered in this behalf, in respect of the Multistorey flat and by any other statutory body, whether such charges are imposed on the Multistorey flat or on the building constructed thereon, from time to time.

Overriding Power over dormant Properties

The lesser reserves the right to all mines, minerals, coals, washing gold, earth oils, quarries in or under the Multistorey flat and full right and power at any time to do all acts and things which may be necessary or expedient for the purpose of searching for, working and obtaining, removing and enjoying the same without providing or leaving any vertical support for the surface of the flat(s)/flat or for the structure time being standing thereon provided always, that the lessor shall make reasonable compensation to the allottee/lessee for all damages directly occasioned by exercise of the rights hereby reserved. The decision of the CEO on the amount of such compensation will be final and binding on the Allottee/lessee.

U. Maintenance

1. That the Lessee or RWA will keep the demised premises and buildings

2. At all times in a state of good and substantial repairs and in good sanitary condition to the satisfaction of the lessor.

3. The available facilities as well as the surroundings neat and clean and in good healthy and safe condition to the convenience of the inhabitants of the place.

4. That the lessee shall abide by all regulations, bye-laws directions and guidelines of the Authority framed/issued under section 8, 9 and 10 or under any other provisions of the U.P. Industrial Area Development Act, 1976 and rules made therein. In case of non-compliance of these terms & conditions, and any directions of the Authority, the Authority shall have the right to impose such penalty as the CEO may consider just and/or expedient.

5. That the lessee shall not display or exhibit any posters, statues, other articles which are indecent or immoral.

- 6. The lessee shall also not display or exhibit any advertisement or placard in any part of the exterior wall of the building, except which shall be constructed over the demised premises or at a place specified for the purpose by the lessor.
- 7. For proper maintenance and security, allottees of the block/sector shall have to constitute RWA on or before the expiry of two years from the date of first lease deed of the flats in the complex.

V. Other Clauses

1. The Chief Executive Officer or any officer authorized by the CEO in this regard reserves the right to make such additions/alterations or modifications in the terms and conditions of allotment from time to time as he may consider just or/and expedient.

2. In case of any clarification or interpretation regarding these terms and conditions the decision of the Chief Executive Officer or any officer authorized by the CEO in this regard shall be final and binding on the applicant/allottee /lessee.

- 3. If due to any "Force majeure" or such circumstances beyond the Authority's control, the Authority is unable to make allotment or the possession of the allotted Multistorey flat, entire registration money or the deposit, depending on the stage of allotment will be refunded along with simple interest at the rate of 4% per
- 4. Any dispute between the Authority/Lessor and allottee/lessee shall be subject to the territorial jurisdiction of the Civil Courts having jurisdiction over Yamuna Expressway or the Courts designated by the Hon'ble High Court.
- 5. The allotment/lease will be governed by the provisions of the U.P. Industrial Area Development Act, 1976(U.P. Act No. 6 of 1976) and by the rules and/or regulations made or directions issued under this Act.

6. The Multistorey flat can also be owned jointly by husband/wife.

7. All arrears due to the lessors are recoverable as arrears of land revenue.

For more information kindly contact:-

Manager (Property - BHS 03/2014 Scheme Flat) Telephone No. :- 0120-2395201 Fax No. :- 0120-2395150



यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में बहुमंजिला फ्लैटों के आवंटन की नियम एवं शर्तें

सेक्टर-22डी

महत्वपूर्ण तिथियाँ

योजना प्रारम्भ की तिथि: 12/06/2014

आवेदन की अन्तिम तिथि : 21/07/2014

आवंटन ड्रा के आधार पर

ड्रा संभावित रूप से अक्टूबर, 2014 के महीने में निकाला जायेगा



(ए) योजना विवरण

योजना का नाम : बिल्ट अप फ्लैट — 03 योजना कोड : बी.एच.एस—03/2014

ए.1 फ्लैटों का विवरण

क्रम संo	प्रॉपर्टी कोड	योजना का विवरण	फ्लैट का प्रकार	सेक्टर का नाम	यूनिट एरिया वर्ग मीटर में	फ्लैटों की संख्या		ों का सम्भावित य (₹ लाख में) प्रथम/द्वितीय/ तृतीय तल	पंजीकरण राशि (₹ लाख में)
1	01	अर्फोडेबल	1 बी.एच.के	22डी	29.76	700	11.62	10.47	1.20
2	02	एस+04	1 बी.एच.के	22डी	54.75	1150		18.95	2.00
3	03	एस+16	2 बी.एच.के	22डी	99.86	570		31.00	3.10

मुल बिकी मुल्य

• ब्रोशर में दी गयी कीमत/लागत अस्थायी है और फ्लैट्स का कब्जा प्राप्त करते समय परिवर्तन हो सकती है। यह परिवर्तन फ्लैट्स के निर्माण और विकास या प्राधिकरण, अदालत या राज्य सरकार द्वारा भूमि मुआवजा/अधिग्रहण राशि/अनुग्रह राशि में किसी भी प्रकार की वृद्धि के कारण हो सकता है। पट्टेदार/आवंटी को प्राधिकरण द्वारा पट्टा विलेख के निष्पादन से पूर्व इस प्रकार की किसी भी वृद्धि का भुगतान करने संबंधित सहमति और अनुपातित साझेदारी का वादा करना होगा।

• सेवा कर में यदि कोई वृद्धि हुई तो आवंटी उसका वहन करेंगे।

ए 2 ऊपर उल्लिखित फ्लैट्स का निर्माण सेक्टर—22डी में होगा। विवरिणका के साथ फ्लैट्स के डिजाईन और खाके उपलब्ध हैं। उपलब्ध डिजाईन और खाके में फिटिंग और फिक्सचर का भी वर्णन है ।

• प्राधिकरण द्वारा फ्लैट्स के डिजाईन और इसके खाके में कुछ जरूरी आंशिक परिवर्तन किया जा सकता है।

• यह प्रस्तावित है कि काम्प्लेक्स का कब्जा दिये तिथि से दो वर्ष तक रख रखाव का कार्य प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा और उसके बाद काम्प्लेक्स के रख रखाव का काम आवंटियों द्वारा गठित रेजीडेंट वेलफेयर सोसाइटी (RWA) द्वारा किया जायेगा। इसके बाद यह अनिवार्य होगा की पट्टेदार/मालिक आरडब्लूए का गठन करें और काम्प्लेक्स की मरम्मत और रख रखाव के द्वारा हमेशा इसे अच्छा और रहने योग्य स्थान बनाये रखने की बात सुनिश्चित करें। सभी आवंटी को रेजीडेंट वेलफेयर सोसाइटी (RWA) का सदस्य बनना अनिवार्य है।

• पहले दो वर्ष काम्पलेक्स को साफ सुथरा और रहने योग्य बनाये रखने के लिए आवंटियों को 1 बी.एच.के. (अर्फोडेबिल) के लिये रूपये 0.50 लाख एवं 1 बी.एच.के. के लिये रूपये 1 लाख और 2 बी.एच.के. के लिए रूपये 1.50 लाख रख रखाव के लिए यमुना एक्सप्रेसवे औधोगिक विकास प्राधिकरण द्वारा खोले और अनुरक्षित किये ''कोष'' में जमा करने होंगे। आवंटियों पर यह शुल्क पट्टा विलेख के निष्पादन से पूर्व देय होगा। जिसकी सूचना आवंटियों को प्राधिकरण द्वारा पट्टा विलेख किये जाने हेतु जारी चेकलिस्ट के माध्यम से सचित किया जायेगा।

• योजना के प्रथम व्यक्ति को अधिकार सौंपने के दो वर्षों के बाद फ्लैटों का रख रखाव का रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा ही वहन किया जायेगा तथा रख—रखाव पर होने वाले खर्च को सोसाइटी अपने श्रोतों से वहन करेगी ।

• यदि किसी कारणवश आरडब्लूए नहीं गठन नहीं किया जाता तो ऐसी स्थिति में सोसाइटी काम्प्लेक्स के रख रखाव का काम आवंटियों की लागत और खर्च पर स्वंय करेगी और सोसाइटी मासिक आधार पर निर्धारित शुल्क लगाने के लिए स्वतंत्र होगी।

 प्राधिकरण द्वारा काम्प्लेक्स / परिसर में वाणिज्यिक / नर्सरी स्कूल के लिए स्थान बिक्री के अलावा निवासियों की सुरक्षा के लिए चारदीवारी, एक गार्ड रूम, सामुदायिक केंद्र के लिए स्थान और एक छोटे से खेल का मैदान भी उपलब्ध करायेगा ।

• प्राधिकरण अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करके सभी नियमों और शर्तों के साथ सामुदायिक केंद्र को खरीदने, उसके प्रबंधन और सभी सुविधाओं के संचालन का कार्य किसी बाहरी एजेंसी को हस्तानांतरित कर सकता है। आवंटी को प्राधिकरण द्वारा समय समय पर लगाये जाने वाले अपेक्षित प्रभार / शुल्क भुगतान के बाद यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह कम्युनिटी सेंटर के नियमों वं शर्तों के अधीन सभी सुविधाओं का उपयोग कर सकता हैं।

• फ्लैट्स में अग्नि सुरक्षा और काम्प्लेक्स में वर्षा के जल के संग्रहण का प्रावधान कर दिया गया है।

• ड्रा के समय प्रॉपर्टी कोड-01 से 03 में दिये गये फ्लैट्स की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है।

ए 3 यह शुल्क केवल फ्लैट्स के मूल बिक्री मूल्य से ऊपर हैं और उल्लिखित प्रॉपर्टी कोड-02 एवं 03 श्रेणियों में ही लागू हैं।

1 स्थान वरीयता पर प्रभार (पीएलसी)1 बी.एच.के. (एस+4) फ्लैट के लिए -

- 1 मंजिल के फ्लैट्स पर पीएलसी शुल्क 100 / -वर्ग फीट
- 2 मंजिल के फ्लैट्स पर पीएलसी शुल्क 50 / -वर्ग फीट
- 2 मंजिल से ऊपर के फ्लैट्स पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं

2. स्थान वरीयता पर प्रभार (पीएलसी)2 बी.एच.के. (एस+16) फ्लैट के लिए -

- 1 और 2 मंजिल के फ्लैट्स पर पीएलसी शुल्क 100 / —वर्ग फीट
- 3 और 4 मंजिल के फ्लैट्स पर पीएलसी शुल्क 75 / -वर्ग फीट
- 5 और 6 टी मंजिल के फ्लैट्स पर पीएलसी शुल्क 50 / -वर्ग फीट
- 6 मंजिल से ऊपर के फ्लैट्स पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं

3. अफॉंडेबिल (4 मंजिल) के फ्लैट्स पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं

- 4. कार पाकिंग
- काम्प्लेक्स के भीतर कवर क्षेत्र (स्टिल्ट) में कार पार्किंग हेतु रिक्त स्थान सीमित है । आवेदक को यह जानकारी दी जाती है कि वह आवेदन फॉर्म भरते समय यह सुनिश्चित



कर ले कि वह कार पार्किंग लेने के इच्छुक हैं तो उनके द्वारा आवेदन फार्म में कार पार्किंग का कॉलम भरना आवश्यक है। यदि आवेदक द्वारा आवेदन फार्म में कार पार्किंग का कॉलम रिक्त होगा तो भविष्य में पृथक से आवेदन ग्राहय नहीं होगा ।

• आवेदक केवल एक कार के स्थान के लिए ही आवेदन कर सकते हैं,एक से अधिक नहीं, आवेदित किये गये स्थान का आवंटन ड्रा के माध्यम से किया जायेगा ।

• ड्रा में स्टिल्ट कार पार्किंग आवंटित होने की दशा में रूपये 1 लाख प्रति पार्किंग की दर से देय होगा।

• कार पार्किंग के स्थान का चयन ड्रा के माध्यम से किये जायेगा। आवंटित कार पार्किंग की कीमत / लागत का भुगतान आवंटन के 30 दिनों अंदर एकमुश्त भुगतान के रूप में जमा करना होगा।

बी- निर्घारित आरक्षित श्रेणियाँ :

क्र.सं.	आरक्षित श्रेणी	आरक्षण का प्रतिशत
1.	कृषक, जिनकी भूमि ग्रेटर नोएडा के सुनियोजित विकास के लिये अधिग्रहित की गयी है।	17.5 प्रतिशत
2.	यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित क्रियाशील संस्थागत इकाईयां।	5 प्रतिशत
	कुल आरक्षण	22.5 प्रतिशत

नोट:

1. संस्थागत कार्यात्मक ईकाईयों / प्रतिष्ठानों और कृषक जिनकी भूमि बहुमंजिला इमारतों के लिये अधिग्रहित की गयी है, उसमें 18 प्रतिशत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को भी बहुमंजिला फ्लैट में आरक्षण मिलेगा।

2. विकलांगजन के लिये निःशक्त जन अधिनियम 1995 की धारा 43 के अंतर्गत और बोर्ड कीं 49वीं दिनांक 12.02.2014 के कुल 3 प्रतिशत हौरीजोण्टल आरक्षण, ऊपर बताई गई आरक्षित श्रेणियों तथा अनारक्षित श्रेणी (सामान्य) के लिए अनुमान्य होगा।

3. उक्त श्रेणियों के विकलांग / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी, अन्यथा उन्हें आरक्षण का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा।

4 अगर डा के समय किसी भी आरक्षित क्षेणी के फ्लैटों की संख्या प्राप्त आवेदन से कम पाई जाती है तो बचे हए फ्लैटों को समान्य श्रेणी में हस्तानांतरित कर दिए जायेगें ।

ग्राहयता

बी-1 सामान्य श्रेणी

া आवेदक भारतीय नागरिक हो तथा अनुबंध के लिए सक्षम हो तथा उसने योजना प्रारम्भ होने की तिथि तक वयस्कता की आयु प्राप्त कर ली हो।

2 इस श्रेणी में आवेदक अथवा उसके पत्नी / पित के नाम, अथवा आश्रित बच्चों के नाम में पूर्ण रूप से अथवा आश्रिक रूप से कोई भी आवासीय भूखण्ड अथवा फ्री-होल्ड आधार पर अथवा एच.पी.टी.ए. (हायर पर्चेज टेनेंसी एग्रीमेन्ट) लाइसेंस के तहत यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा किसी पूर्व योजना में आवंटित न किया गया हो।

3 आवेदक उनके पति / पत्नी अथवा आश्रित योजना के अन्तर्गत केवल एक ही पलैट हेतु आवेदन कर सकते हैं। यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि आवेदनकर्ता द्वारा उनके पति / पत्नी अथवा आश्रित को योजना के अन्तर्गत एक से अधिक आवेदन करते हैं तो आवेदन / आवंटन निरस्त करते हुये उनके द्वारा जमा की गयी समस्त पंजीयन राशि प्राधिकरण के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।

बी-2 विहित आरक्षित श्रेणियों की पात्रता

1 आवेदक भारतीय नागरिक हो तथा अनुबंध के लिए सक्षम हो तथा उसने योजना प्रारम्भ होने की तिथि तक वयस्कता की आयु प्राप्त कर ली हो।

2 केवल ऐसे आवेदक/औद्योगिक इंकाईयां/व्यावसायिक एवं संस्थागत प्रतिष्ठान/संस्थान अथवा उनके प्रबन्ध निर्देशक/पूर्ण कालीन निर्देशक/भागीदार/एकल स्वामी/ट्रस्टी/ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के लिये अधिग्रहित की गयी भूमि के खातेदार/सह—खातेदार श्रेणी के आवेदक, आवेदन हेतु पात्र होंगे जिनको आवासीय भूखण्ड/फ्लैट प्राधिकरण की किसी भी पूर्व योजना में प्राधिकरण द्वारा आवंटित न किया हो।

बी-3 विशिष्टि श्रेणियों पर लागू पात्रता की विशेष शर्तें

निम्न शर्तों को पूर्ण करने वाली वास्तविक औद्योगिक इकाईयां पात्र होंगी:-

• यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा 31.03.2014 को अथवा इससे पूर्व तक संस्थागत प्लाट / परिसर आवंटित दिया गया हो और कानूनी दस्तावेज के साथ संस्थागत प्लाट / परिसर का भौतिक कब्जा ले लिया हो और जिसे यमुना एक्सप्रेसवे औधोगिक विकास प्राधिकरण द्वारा योजना के बंद होने की तिथि से पूर्व क्रियाशील घोषित कर दिया गया हो। आवंदक को आवंदन पत्र के साथ क्रियाशीलता प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी ।

• संस्थागत स्थापना योजना की तारीख से पहले प्राधिकरण की सभी देय बकाया जैसे प्रीमियम, लीज किराया और ब्याज आदि को मंजूरी मिल जानी चाहिए। आवेदक को आवेदन पत्र के साथ यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण द्वारा जारी अदेयता प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

• यदि शैक्षणिक संस्थान के पक्ष में आवेदन किया जाता है तो उनके निदेशक / ट्रस्टी / कार्यकारी / सदस्य का नाम प्राधिकरण के संस्थान विभाग के रिकॉर्ड में योजना समाप्त होने की अंतिम तिथि तक दर्ज होना अनिवार्य होगा। एक संस्थान द्वारा केवल एक आवेदन किया जा सकेगा।

• ऐसे संस्थान/उनके निदेशक/ट्रस्टी/कार्यकारी सदस्य भूखंड हेतु आवेदन पात्र नहीं होंगे जिन्हें संस्थागत भूखंड अपने पक्ष में अंतरित कराया हो तथा जिन्हें पूर्व में आवासीय भूखंड/पलैट आवंटित हो चुका हो ।

• आवासीय फ्लैट के आवंटन के लिए पात्रता के लिए एक फ्लैट किसी संस्थान के नाम अथवा इसके वैध प्रबंधक निदेशक / पूर्णकालिक निदेशक / ट्रस्टी / कार्यकारी सदस्य के नाम से हो बजाए इसके की संस्थान के कब्जे में कितने परिसर है ।

• चैरिटेबल एवं धार्मिक संस्थान और इसके ट्रस्टी / निदेशक / सदस्य / आदि आवंटन हेतु पात्र नहीं होंगे ।

• आवेदक कंपनी को इस आशय को प्रस्तावित करना होगा कि कंपनी स्वयं के नाम से अथवा अपने एकल स्वामी / साझीदारी / प्रबंध निदेशक / पूर्णकालिक निदेशक के नाम से आवेदन कर रही है तथा कंपनी के आवेदन पत्र भरने एवं हस्ताक्षर करने हेतु (नाम, उपनाम) अधिकृत है।

बी—4 पात्र कृषक जिनकी भूमि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अधिगृहीत / क्रय की गयी हो। इस श्रेणी के अंतर्गत विस्तृत पात्रता शर्ते तथा आवंटन प्रकिया का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

 ऐसे कृषक आवेदन के लिए पात्र होंगे जिनकी भूमि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा 31.03.2104 को या उसे पूर्व अधिगृहीत / क्रय की गई हो तथा उस पर प्राधिकरण द्वारा निर्विवाद व अतिक्रमण मक्त कब्जा प्राप्त कर लिया गया हो। (ब्रोशर में दिए गए प्रपत्र के अनुसार इस आशय का शपथ-पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर



अडरटेकिंग-1 के अनुरूप जमा करना होगा।)

- 2. यदि भूस्वामी अथवा उसके पति / पत्नी / आश्रित बच्चों को प्राधिकरण की किसी योजना में पूर्व में ही फ्लैट / भूखण्ड आवंटित हुआ है तो वह इस आरक्षण योजना के अन्तर्गत पात्र नहीं होगा।
- 3. यदि किसी खाते में एक से अधिक सह—खातेदार हैं, ऐसी दशा में समस्त सह—खातेदार योजना में आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। इन समस्त सह खातेदारों के मध्य ड्रा करके एक सफल सह—खातेदार का चयन किया जायेगा एवं उसी सफल सह खातेदार को योजना के आखरी ड्रा आफ लॉटस में सम्मिलित किया जायेगा।

4. इस श्रेणी के अंतर्गत, सफल आवेदक / आवंटी आवंटित बहु मंजिला फ्लैट्स को आवंटन तिथि के पांच साल बाद तक हस्तानात्रित कर सकते हैं ।

- 5. अधिग्रहित भूमि के अलावा यमुना प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित / क्रय की गयी भूमि पर या अन्य किसी और भूमि जिसके आवंटन के लिए इस योजना में आवंदन पत्र निकल गया हो आवंदक द्वारा अतिक्रमित नहीं होना चाहिए । इस आशय का शपथ पत्र 10 रूपये के स्टाम्प पेपर पर अंडरटेकिंग–2 के अनुरूप जमा करना होगा जो ब्रोशर में संलग्न है ।
- 6. आवेदक द्वारा सम्पूर्ण प्रतिकर बिना किसी आपित्त के करार / सहमित के आधार पर प्राप्त कर लिया गया हो। आवेदक को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत फार्म–11 सी की सत्यापित प्रति प्रस्तुत की जानी होगी।
- 7. अगर, सत्यापन पर या किसी भी स्तर में यह पाया गया कि ऊपर उल्लिखित शर्तों में से किसी का भी उलंघन हुआ है तो आवेदन पत्र को खारिज कर दिया जायेगा और पंजीकरण का पैसा वापस कर दिया जायेगा ।

सी. आवंटन की प्रक्रिया

- प्रत्येक पात्र श्रेणी के लिए आवंटन ड्रा के माध्यम से किया जायेगा। सर्व प्रथम ड्रा आवंटन के लिए सफल आवेदक का चुनाव करने के लिए किया जायेगा। आवंटी को विशिष्ट फ्लैट संख्या के आवंटन के लिए ड्रा फ्लैट्स की संरचना पूर्ण होने के बाद किया जायेगा।
- यदि ड्रा के समय आरक्षित क्षेणी के फ्लैटों की संख्या प्राप्त आवेदनों से कम पायी गयी तो बचे हुए फ्लैटों को समान्य श्रेणी में हस्तानांतरित कर दिए जायेंगे।

डी. आवेदन कैसे करें

आवेदन प्रपत्र एवं प्रोसेसिंग फीस के लिए रुपये 1100 / — के भुगतान के साथ निम्नलिखित किसी भी बैंक शाखा से प्राप्त किये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आवेदन पत्र ग्रेटर नौएड़ा प्राधिकरण की वेबसाइट www.yamunaexpresswayauthority.com से भी डाउनलोड़ किए जा सकते हैं। इस स्थिति में ब्रोशर के मूल्य के लिये रुपये 1100 / — का डिमाण्ड ड्राफ्ट पंजीयन धनराशि के साथ अलग से संलग्न करना अनिवार्य होगा। विधिवत भरे हुए तथा आवश्यक संलग्नकों सहित हस्ताक्षरित आवेदन पत्र अपेक्षित पंजीयन राशि सहित निम्नलिखित किसी भी बैंक की शाखा में सभी श्रेणी के आवेदकों द्वारा योजना की समाप्ति से पूर्व जमा कराने होंगे। आवेदक अपनी अर्हता अनुसार आवेदन पत्र के साथ पंजीयन धनराशि 'यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण' के नाम से बैंक ड्राफ्ट / पे आर्डर जिसकी देयता नई दिल्ली / नौएडा / ग्रेटर नौएडा पर होगी, आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर निम्नलिखित बैंक की शाखाओं में जमा करेंगे।

• आवेदन पत्रों की अधिकृत पावती / रसीद संबधित बैंक द्वारा जारी की जायेगी।

डी-1 सामान्य श्रेणी संस्थागत एवं विहित श्रेणियों के लिए निर्धारित बैंक शाखायें :

क्रम सं०	बैंक कोड	बैंक का नाम एवं पता
1	01	• ऐक्सिस बैंक के – 21 एवं 22 सेक्टर – 18, नोएडा
		• ऐक्सिस बैंक, 29, सी, सी, बसंत लोक, काम्प्लेक्स, वसंत विहार, नई दिल्ली
2	02	• इलाहाबाद बैंक, मन्दिर मस्जिद मार्ग, सेक्टर —31, नोएडा
		• इलाहाबाद बैंक, हजरतगंज , पोस्ट बाक्स —09, लखनऊ
3	03	• बैंक आफ बड़ौदा, फर्स्ट फ्लोर, कॉमार्शियल काम्प्लेक्स ब्लॉक पी–2, सेक्टर –ओमेगा–1, ग्रेटर नोएडा
4	04	• फैडरल बैंक, सेक्टर—22, नोएडा।
5	05	• एचडीएफसी बैंक, सी–01, अल्फा प्लाजा अल्फा कॉमर्शियल बेल्ट, ग्रेटर नोएडा।
		• एचडीएफसी बैंक,जी—28 / 29, फस्ट फ्लोर, सेक्टर—18, नोएडा।
		• एचडीएफसी बैंक, ए24 हौज खॉस, नई दिल्ली
		• एचडीएफसी बैंक, 15 / 63 क्रिशना टॉवर, ग्राउन्ड फ्लोर, सिविल लाइन्स, कानपुर।
		• एचडीएफसी बैंक, शॉप नं.3/4/11, ग्राउंड फ्लोर, ब्लॉक नं.17/2/4, फैन्ड्स प्लाजा, संजय पैलेस, आगरा
		• एचडीएफसी बैंक,3—316, भल्ला काम्पलेक्स, नीयर देवत्रय हास्पिटल, रामघाट रोड, अलीगढ़।
		• एचडीएफसी बैंक,169 / 2, गौसाला रोड, भुतेश्वर रोड़, बाई पास रोड़ मथुरा।
6	06	• इंडसइंड बैंक, गोपाल दास भवन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली
7	07	• इंडियन बैंक, जगत फार्म, सेक्टर-गामा-01, ग्रेटर नोएडा
		• इंडियन बैंक, एबी—20 , सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली
8	08	• आईसीआईसीआई बैंक, पी—02, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, सेक्टर—ओमेगा—1, ग्रेटर नौएडा
		• आईसीआईसीआई, के–1, सीनियर मॉल, सेक्टर–18,नौएडा।
9	09	• ओरिएण्टल बैंक ऑफ कामर्स, जगत फार्म, सेक्टर—गामा—01, ग्रेटर नौएडा



क्रम सं0	बैंक कोड	बैंक का नाम एवं पता
10	10	• पंजाब नैशनल बैंक, सी–13, सेक्टर–01, नोएडा।
11	11	• पंजाब नैशनल बैंक, डी–1 / 1,राणा प्रताप बाग, नई दिल्ली
12	12	• पंजाब नैशनल बैंक, गुरुद्वारा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली
13	13	 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लार्जर स्ट्रोएिमया शॉपिंग काम्प्लेक्स, इन्सीट्यूशनल एिरया, ग्रेटर नोएडा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एच-4, सेक्टर-11, नोएडा
14	14	• यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, सेक्टर—12, नोएडा।

डी-2 कृषक श्रेणी का बैंक :-

क्रम सं	बैंक कोड	बैंक का नाम एवं पता	
1	01	• एच.डी.एफ.सी. बैंक, अल्फा कॉमर्शियल बैल्ट, ग्रेटर नोएडा	

ई भुगतान योजना

ई—1 ब्याज सहित बींस वर्षीय किश्त योजना (भुगतान कोड ई—1) केवल अर्फोडेबिल फ्लैट के लिए

• इस योजना में, प्रत्येक प्रॉपर्टी कोड मे दिये गये फ्लैटों की निर्धारित कुल धनराशि की 30 प्रतिशत धनराशि (पंजीयन राशि समायोजन के उपरान्त) आवंटन तिथि से 45 दिन के अन्दर आवंटन राशि के रूप में देय होगी। शेष 70 प्रतिशत धनराशि 20 छःमाही बराबर (12 प्रतिशत ब्याज सहित रिडयूसिंग प्रिन्सीपल अमाउन्ट प्रत्येक छःमाही) किश्तों में देय होगा। किश्तों की गणना आवंटन तिथि के 46वें दिन से की जायेगी।

ई-2ब्याज सहित सौलह वर्षीय किश्त योजना (भुगतान कोड ई-2) 1 बी.एच.के. (एस+4) एवं 2 बी.एच.के. (एस+16) फ्लैटों के लिए

• इस योजना में, प्रत्येक प्रॉपर्टी कोड में दिये गये फ्लैटों की निर्धारित कुल धनराशि की 30 प्रतिशत धनराशि (पंजीयन राशि समायोजन के उपरान्त) आवंटन तिथि से 45 दिन के अन्दर आवंटन राशि के रूप में देय होगी। शेष 70 प्रतिशत धनराशि 16 छ:माही बराबर (12 प्रतिशत ब्याज सहित रिडयूसिंग प्रिन्सीपल अमाउन्ट प्रत्येक छ:माही) किश्तों में देय होगा। किश्तों की गणना आवंटन तिथि के 46वें दिन से की जायेगी।

नोट :-

- इस प्रपत्र के संदर्भ में आवंटन पत्र जारी होने की तिथि को आवंटन तिथि माना जायेगा।
- इस प्रपत्र के संदर्भ में लीज डीड निष्पादन की तिथि को ही कब्जा प्राप्त करने की तिथि माना जायेगा।

एफ. भुगतान विधि:

1. सभी भुगतान प्राधिकरण को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पक्ष में डिमाण्ड ड्रा / पे— आर्डर जो नोएडा / ग्रेटर नोएडा पर दे हों, के रूप में किये जा सकते हैं। इस कार्य के लिये आवंटन पत्र में वर्णित अधिकृत बैंक शाखाओं द्वारा भुगतान सीधे स्वीकार किये जायेगे।

2. देय भुगतान हेतु सामान्यतः समय विस्तरण अनुमन्य नहीं होगा। यदि आवंटी द्वारा प्राधिकरण को देय किश्तों की राशि का भुगतान निर्धारित देय तिथि तक नहीं किया जाता है तो विलम्ब अविध के लिये समय विस्तरण विशेष परिस्थितियों के तहत मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा ही अधिकतम तीन माह के लिये इस शर्त के साथ अनुमन्य किया जायेगा कि कुल भुगतान योजना के दौरान ऐसे विस्तरण तीन से अधिक नहीं होगे। समय विस्तरण की दशा में 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज (जिसका आकंलन छमाही चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर किया जायेगा) की दर से बकाया धनराशि पर देय होगा।

3. आवंटी / पट्टाधारक द्वारा जमा की गयी धनराशि सर्वप्रथम देय ब्याज में समायोजित की जायेगी तदोपरान्त शेष धनराशि देय किस्तों व देय लीजरेन्ट में समायोजित की जायेगी।

4. आवंटी / पट्टाधारक द्वारा आवंटन के पश्चात पूर्ण पूर्व भुगतान अनुमन्य होगा। आंशिक भुगतान अनुमन्य नहीं होगा। पूर्व भुगतान की स्थिति में कोई छुट अनुमन्य नहीं होगी। यदि आवंटी द्वारा एक मुश्त भुगतान का विकल्प ग्रहित किया जाता है तो शेष धनराशि पर ब्याज नहीं लिया जायेगा इसके लिये आवंटी को एक मुश्त भुगतान से पूर्व प्राधिकरण से अनुमित प्राप्त करनी होगी।

•जी क्षेत्रफल

• आवंटित फ्लैट का क्षेत्रफल कब्जा दिये जाते समय कुछ भिन्न हो सकता है। ऐसी दशा में फ्लैट का कुल मूल्य उसी अनुपात में परिवर्तित होगा। यदि अन्तर 10 प्रतिशत तक है तब भवन की स्थिति में परिवर्तन या समर्पण की अनुमित नहीं होगी। यदि अन्तर 10 प्रतिशत से अधिक है तो आवंटी को आवंटन समर्पित करने की छूट होगी तथा ऐसी दशा में जमा की गयी समस्त धनराशि 4 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस कर दी जायेगी।

एच. जैसे है जहां है' के आधार पर:

क्रेता द्वारा फ्लैट जैसे है जहां है के आधार पर 90 वर्ष के पट्टे पर जिनकी अवधि पट्टा प्रलेख की निर्धारित तिथि से प्रारंभ कर स्वीकार किये जायेगे।

आई.असफल आवेदक

उन आवेदकों की पंजीयन राशि, जिन्हें फ्लैट आवंटित नहीं हो सके हैं और यदि राशि एक वर्ष से कम अवधि के लिए प्राधिकरण के पास जमा रही है वह राशि बिना ब्याज के लौटायी जायेगी यदि जमा राशि की अवधि एक वर्ष से अधिक है तो उस पर 4 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से जमा की सम्पूर्ण अवधि के लिए ब्याज दिया जायेगा।

जे. समर्पण:

- 1 ड्रा / आवंटन से पूर्व समर्पण की स्थिति में जमा सम्पूर्ण पंजीयन राशि बिना ब्याज लौटा दी जायेगी।
- 2 ब्रा/आवंटन के उपरान्त 30 दिन के भीतर आवंटन समर्पण करने पर पंजीयन राशि का 10 प्रतिशत भाग जब्त कर लिया जाएगा और शेष राशि बिना ब्याज लौटा दी जायेगी।
- 3. ड्रा / आवंटन आवंटन के पश्चात 30 दिन के पश्चात् किन्तु 45 दिन के भीतर आवंटन समर्पण करने पर पंजीयन राशि का 50 प्रतिशत धनराशि प्राधिकरण हित में जब्त कर ली जायेगी तथा शेष धनराशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी। इसके लिए प्राधिकरण द्वारा पृथक से कोई सूचना प्रेशित नहीं की जायेगी।

4 ड्रा / आवंटन के पश्चात 45 दिन के बाद परन्तु आवंटन के 6 महीने से पहले समर्पण करता है तो प्रलैट की कुल कीमत की 10 प्रतिशत राशि की कटौती की जायेगी, शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी। इसके लिए प्राधिकरण द्वारा पृथक से सूचित नहीं किया जायेगा।



- 5. ड्रॉं / आवंटन से छ: माह के बाद आवंटन समर्पण करने की दशा में आवंटी द्वारा जमा की सम्पूर्ण धनराशि प्राधिकरण द्वारा जब्त कर दी जायेगी।
- 6. यदि आवंटी निर्धारित समय में देय राशि जमा करने में असफल रहता है तो आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा और इस प्रकार से निरस्त किये गये फ्लैट के लिये निरस्तीकरण की तारीख तक जमा राशि को जब्त कर लिया जायेगा।
- नोट :—यदि आवंटी उपरोक्त समर्पण क्लॉज में दिये गये समय के पश्चात अपना समर्पण प्रत्यावेदन प्राधिकरण में प्रस्तुत करता है तो वह मान्य नही होगा। समर्पण के प्रकरणों में समर्पण की तिथि वह मानी जायेगी जिस दिन समर्पण पत्र प्राधिकरण कार्यालय में प्राप्त होगा। डाक प्रमाण पत्र के आधार पर कोई पूर्ववर्ती दावा स्वीकार नही किया जायेगा। आवंटी को समर्पण पत्र के साथ मूल पंजीयन पावती संलग्न कर प्रस्तुत करनी होगी।

के. निरस्तीकरण:

निरस्तीकरण के अन्य उल्लिखित प्रस्तरों के अतिरिक्त,प्राधिकरण / पट्टादाता, अधोलिखित स्थितियों में पट्टा प्रलेख / आवंटन को निरस्त करने हेतु अपने अधिकारों का उपयोग करने में स्वतंत्र होगा।

- 1. गलत विवरण अथवा वस्तुपरक तथ्यों को छिपाते हुए आवंटन प्राप्त करने पर।
- 2. प्राधिकरण अथवा अन्य विधिक निकाय द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्ते अथवा उसके द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन करने पर।
- 3. आवेदक/आवंटी/पट्टाधारक द्वारा पंजीकरण/आवंटन/पट्टे की नियम व शर्तों के तोड़ने/उल्लंघन करने और/ अथवा आवंटन राशि जमा न करने पर। उपरोक्त के उप प्रस्तर (1, 2, व 3) के अंतर्गत, निरस्तीकरण की दशा में, निरस्तीकरण की तिथि तक जमा समस्त राशि जब्त कर ली जायेगी और खण्ड मय ढांचे के, यदि कोई है तो, प्राधिकरण/पट्टादाता द्वारा कब्जे में ले ली जायेगी, और आवंटी/पट्टाधारक को इसकी प्रतिपूर्ति मांगने का कोई अधिकार नहीं होगा।

एल. पट्टा अवधि एवं पटटा किराया

फ्लैंट का आवंटन प्रत्येक आवंटी को 90 वर्ष के पट्टाधिकारी पर दिया जाएगा और पट्टा किराया कब्जा लेने से पूर्व फ्लैट के कुल मूल्य का 10 प्रतिशत एकमुश्त देय होगा। यदि आवंदक वार्षिक भू—भाटक देना चाहता है तो उसे कुल फ्लैट के मूल्य का एक प्रतिशत वार्षिक अग्रिम के रूप में पट्टा प्रलेख निष्पादन की तिथि से देय होगा। वार्षिक भू भाटक 10 वर्ष बाद 50 प्रतिशत बढ़ा दिया जायेगा।

एम. पटटा अनुबंध का निष्पादन

• अधिसूचना सं0 3066 / 11.5.2009—500(100) / 2008 दिनांक 12—6—2009 में वर्णित प्राविधान के अंतर्गत आवंटी को आवंटन के छः माह के भीतर पट्टा अनुबंध निष्पादित करा कर सब रिजस्ट्रार गौतम बुद्ध नगर कार्यालय में निबंधित करना होगा अन्यथा लीज़ डीड के निष्पादन के समय उन्हें सर्किल दर पर स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी। अधिसूचना की प्रति प्राधिकरण की वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

एन. पटटा दस्तावेज तथा कब्जे का निष्पादन

आवंटित फ्लैट का कब्जा आवंटन—पत्र निर्गत करने के तीन वर्षों के भीतर आवंटी को आफर कर दिया जाना सम्भावित है। आवंटी को कब्जा लेने की सूचना प्रेषित करने के 60 दिन के भीतर कानूनी दस्तावेज / पट्टा प्रलेख (लीज़ डीड का निश्पादन एवं पंजीकरण) निष्पादित कराना अनिवार्य होगा। ऐसा करने में असफल रहने पर आवंटी को 1 प्रतिशत की दर पर प्रशासनिक शुल्क का भुगतान भी करना होगा, जिसमें कानूनी दस्तावेज के निष्पादन के लिए अंकित तिथि से अधिकतम एक वर्ष की समय बढ़ोत्तरी दी जा सकेगी। इस विस्तारित समय के बाद भी यदि आवंटी कानूनी दस्तावेज के निष्पादन में असमर्थ रहता है तो आवंटन निरस्त किये जाने तथा जमा राशि जब्त किये जाने संबंधी कार्यवाही की जायेगी।

नोट :— प्रलेखन के प्रयोजन के लिए पट्टा विलेख के निष्पादन की तारीख कब्जे का पदभार संभालने की तिथि के रूप में गिना जायेगा।

ओ. दस्तावेजी प्रभार

कानूनी दस्तावेज तैयार करने, उस पर टिकट लगाने तथा उसे पंजीकृत कराने संबंधी समस्त शुल्क और उसकी प्रतियां बनवाने तथा उससे संबंधित समस्त आकिस्मक खर्चों का वहन आवंटी को ही करना होगा। आवंटी को अचल सम्पत्ति के हस्तांतरण के संबंध में स्टाम्प ड्यूटी, जो इसके लिए अधिकृत किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा लगाई जायेगी अथवा कोई अन्य शुल्क अथवा प्रभार का भृगतान भी करना होगा।

पी. गिरवी रखना:

- 1. आवंटी / पट्टाधारक, प्राधिकरण / पट्टादाता की पूर्व सहमित लेकर भूखण्ड / फ्लैट की लीज डीड निष्पादन / पंजीकरण के पश्चात किसी भी बैंक / वित्तीय संस्था से ऋण आहरण हेतु फ्लैट गिरवी रख सकता है और पट्टादाता द्वारा ऐसी अभिस्वीकृति देते समय लगायी गयी नियम व शर्ते आवंटी को मान्य होंगी व उनका अनुपालन करना होगा। इसके साथ ही रेहन / गिरवी रखी सम्पत्ति के विक्रय अथवा मोचन निषेध होने पर, पट्टादाता को अधिकार होगा कि भूखण्ड / फ्लैट की अनर्जित बढ़ी कीमत का वो प्रतिशत जो पट्टादाता द्वारा निर्धारित की जाती है, को प्रथम धारक के रूप में वसूल लें व अन्य रेहन अधिकारों से प्राथमिक अधिकार होगा। भूखण्ड / फ्लैट के बाजार मूल्य निर्धारण में पट्टादाता का निर्णय अन्तिम होगा व सभी संबंधित पक्ष को बाध्य होगा, इसके साथ ही पट्टादाता को रेहन / गिरवी रखी सम्पत्ति से पूर्व वर्णित अनर्जित बढ़ोत्तरी को उस प्रतिशत को कम कर पूर्वकृय का अधिकार होगा। पट्टादाता यहां वर्णित अनर्जित बढ़ोत्तरी व सम्पत्ति के पूर्वक्रय का अधिकार अनच्छित विक्रय एवं हस्तांतरण के समय भी बराबर से मान्य होंगे चाहे वह न्यायालय / दिवालियेपन की आइप्ति के अनुपालन के साथ अथवा द्वारा हों।
- 2. आवंटी को फ्लैट में किसी तकनीकी परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।
- 3. परिवर्तन की दशा में खामी होने पर प्राधिकरण का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। पूर्ण नुकसान की वसूली आवंटी से की जायेगी।

क्यू. फ्लैट का हस्तांतरण:

क्यू-1 कानूनी उत्तराधिकारीः

- अपर्ने (महिला / पुरुष) कानूनी उत्तराधिकारी को बहुमंजिला फ्लैट के हस्तान्तरण की अनुमति मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा सीईओ द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निर्धारित शर्तों के पूर्ण होने पर दी जायेगी।
- क्यू-2 कानूनी उत्तराधिकारी के अतिरिक्त
 - कानूनी उत्तराधिकारी के अतिरिक्त किसी अन्य को बहुमंजिला फ्लैट के हस्तान्तरण की अनुमित मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा दी जा सकेगी। बहुमंजिला फ्लैट के इस प्रकार के हस्तान्तरण के लिए आवंटी को निर्धारित हस्तान्तरण शुल्क देना होगा तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निर्धारित सभी कानूनी शर्तों को पूरा करना होगा। इस संबंध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी को ऐसी अभ्यर्थना स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का पूरा अधिकार होगा।

आर. दुरुपयोग, अतिरिक्त निर्माण, परिवर्तन इत्यादि :

प्लैट का प्रयोग आवासीय के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा। आवंटी को परिसर उपविभाजित करने अथवा किसी अन्य परिसर के साथ मिलाने अथवा



उस पर कोई अतिरिक्त ढांचा खड़ा करने अथवा उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा पूर्व लिखित अनुमति के बिना नहीं होगा। उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा और परिसर का कब्जा प्राधिकरण द्वारा वापस ले लिया जाएगा।

एस. करों के भुगतान का दायित्व :

आवंटी / पट्टाधिकारी को भूमि के आवंटन के संबंध में इस आशय के लिए प्राधिकृत किसी भी अधिकारी द्वारा लगाये गये प्रत्येक विवरण का कर निर्धारण, करों तथा प्रभारों की सभी दरों का भुगतान स्वयं कराना होगा भले ही वे प्रभार फ्लैट अथवा उस पर निर्मित किसी भवन के संबंध में लगाये गये हों।

टी. भूगर्भ सम्पत्तियों के नियमन हेतु :

प्राधिकरण का आवंटित आवासीय फ्लैट के अन्तर्गत और उसके बाहर सभी खानों, कोयला, खनिजों, प्रक्षोलन, स्वर्ण, मिट्टी का तेल, खदानों पर अधिकार होगा और इस संबंध में उस समय कोई भी कार्य करने का पूर्ण अधिकार एवं स्वामित्व प्राधिकरण के पास सुरक्षित है और ऐसा कोई ठोस काम करने का भी प्राधिकरण को अधिकार होगा जो इस कार्य हेतु किसी चीज की तलाश करने, उसे प्राप्त करने और वहां से हटाने के लिए वे आवश्यक समझेंगे। आवासीय बहुमंजिला फ्लैट के तल पर किसी वर्टिकल सपोर्ट अथवा उस पर कुछ समय के लिए निर्मित किसी भी बहुमंजिलीय फ्लैट के संबंध में उक्त कार्यवाही करने का उन्हें पूर्ण अधिकार होगा। किन्तु इसके लिए प्राधिकरण इस आशय के अधिकारों का प्रयोग करते समय उससे उत्पन्न सभी प्रकार की क्षतियों का भुगतान प्रत्यक्ष रूप से आवंटी / पट्टाधिकारी को करेगा। समुचित क्षतिपूर्ति की राशि निर्धारित करने के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी का निर्णय अन्तिम माना जायेगा और यह निर्णय आवंटी / पट्टाधिकारी को भी मान्य होगा।

अन्रक्षण

1. पट्टाधारक समूचे परिसर तथा भवन को हर समय बेहतर हालत में रखेगा और आवंटी की संतुष्टि के अनुरूप बेहतर सफाई आदि की व्यवस्था करेगा।आवंटी फ्लैट तथा उसके परिवेश एवं सभी उपलब्ध सुविधाओं को साफ-सुथरा तथा अच्छी स्थिति में रखेगा।

2. आवंटी को प्राधिकरण के अनुच्छेद 8, 9 और 10[°] अथवा उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत सभी विनियमों, उप नियमों, निर्देशों तथा मार्गेनिर्देशों का पालन करना होगा।

3. प्राधिकरण की नियम व शर्तों का अनुपालन न होने पर, प्राधिकरण को अधिकार होगा कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा नियमानुसार जो दण्ड निर्धारित किया जाएगा, वह

4. पट्टाधारक ऐसे पोस्टरों, संविधि व अन्य वस्तु का प्रदर्शन नहीं करेगा जो नैतिकता के प्रतिकूल अथवा अनैतिक एवं अशिष्ट हो।

5. पट्टादाता द्वारा ऐसी विशिष्ट अनुमोदित स्थलों अथवा निर्माण की गयी दुकान के सतह को छोड़कर पट्टाधारक दुकान के दीवार के बाहरी सतह पर कोई विज्ञापन अथवा 6. समुचित अनुरक्षण एवं सुरक्षा हेतु ब्लाक / सेक्टर समूह के आवंटियों को आर.डब्लू.ए. / एन.एम.सी. गठित करनी होगी।

वी. अन्य अनुच्छेद

- 1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा अन्य प्राधिकृत अधिकारी को पूर्ण अधिकार होगा कि उसके द्वारा न्यायसंगत तथा उचित समझे जाने पर समय–समय पर आवंटन की शर्तों में कोई परिवर्तन या संशोधन का निर्णय ले सके।
- 2. इन नियम व शर्तों के संबंध में किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण अथवा उसकी व्याख्या करने के संबंध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा और आवेदकों के लिए

3. किसी दैवीय आपदा अथवा प्राधिकरण के नियंत्रण के बाहर किसी भी परिस्थिति के फलस्वरूप प्राधिकरण आवंटन देने अथवा आवंटित बहुमंजिलीय फ्लैट पर कब्जा प्रदान करने में असमर्थ होता है तो सम्पूर्ण पंजीयन राशि अथवा अन्य जमा राशि जो आवंटन की स्थिति पर निर्भर करेगी, 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित लौटा दी जायेगी।

- 4. सभी विवादों का आवंटन / पट्टे के संबंध में किसी भी विवाद के लिए न्याय का क्षेत्राधिकार सम्बद्ध जिला न्यायालय, जहां सम्पत्ति स्थित है, अथवा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा
- 5. आवंटी पर उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम सन् 1976 (यू.पी. एक्ट नं. 6, 1976) के प्राविधान तथा उसके तहत गठित नियम / विनियम लागू माने जायेंगे। 6. पलैट का स्वामित्व पति / पत्नी द्वारा संयुक्त रूप से भी अनुमन्य है।

7. प्राधिकरण को अदेय सभी धनराशि, एरिया ऑफ लैण्ड रेवेन्यू की तरह वसूल की जायेगी।

टिप्पणी - ब्रोशर के हिन्दी एवं अंग्रेजी आलेख में यदि कोई भिन्नता होती है तो अंग्रेजी आलेख अन्तिम एवं मान्य होगा।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें: मैनेजर

(प्रॉपर्टी -बी.एच.एस 03/2014 फ्लैट योजना) फोन नं 0120. 2395201, फैक्स नं. 0120. 2395150



Undertaking - I


3,45(5)4,1-1
मेंका निवासी हूं तथा ग्राम ग्राम के खाता संख्याथा जिसका अर्जन सुनियोजित विकास हेतु यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है।
यह कि उपरोक्त भूमि खाता संख्याकी भू अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (1)/17 की अधिसूचना दिनांक
यह कि मेरे द्वारा अधिग्रहित भूमि का समस्त प्रतिकर बिना किसी आपत्ति के करार / सहमति के आधार पर प्राप्त कर लिया गया है। यह कि मेरे द्वारा प्राधिकरण के साथ अथवा सह खातेदारों के साथ कोई विवाद न्यायालय में लंबित नहीं है।
आवेदक के हस्ताक्षर • प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण प्राधिकरण रिकार्ड / जानकारी में सच व सही है।
Undertaking - 2
अन्डरटेकिंग—2
में के खाता संख्या
यह कि उपरोक्त भूमि खाता संख्या खसरा संख्या को प्राधिकरण के लिए किया जा चुका है।
यह कि मेरे द्वारा प्राधिकरण की अधिग्रहित भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है।
मेरे द्वारा प्राधिकरण का कोई विकास कार्य बाधित नहीं किया जा रहा है और न ही किसी भूमि पर अतिक्रमण किया गया है।


आवेदक के हस्ताक्षर

सत्यापन : अभियंत्रण विभाग

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण प्राधिकरण रिकार्ड / जानकारी में सच व सही है।

GROUND FLOOR PLAN





















Specifications features for affordable House

The wo	orks shall be executed as not CDMD (Acc	ations features for affordable House
1. The wo	Page Council De executed as per CPWD/MOS	ST specification. Mainly the following specifications are proposed.
	Base Concrete	1:4:8 (1 cement : 4 coarse sand : 8 stone ballast)
2	Brick work in foundation & plinth	1:6(1 cement : 6 coarse sand)
3	Floor to Floor Height	2.90M
4	Brick work in superstructure	1:6(1 cement : 6 coarse sand)
5	Half brick thick wall	1:4(1 cement : 4 coarse sand)
6	lintel, beam & slab	R.C.C. as per design
7	Plaster	1:6(1 cement : 6 coarse sand)
8	Flooring (Rooms)	Vitrified Tiles
9	Toilet/Kitchen Flooring	Ceramic glazed Tile
10	Common Area & Staircase	Kota Stone
11	Roof Treatment	Brick coba
12	Door/Windows frame	M.S iron section.
13	Railing stair cases	M.S. railing as per design.
14	Door Shutter	30mm thick flush door shutters (only outer 2 doors)
15	Windows Shutter	M.S. Section
16	Fittings	M.S oxidized iron fitting
17	Interior finishing	White wash on walls, enamel paint on door /window
18	Exterior Finishing	Grit wash
19	Water Supply	G.I.Pipe/CPVC
20	Sanitary pipe	CI/PVC
21	W.C. Seat	Orissa pattern W.C. pan
22	Rain Water pipe	PVC pipe
23	Parapet Wall	Brick work
24	Electrification	PVC conduit, M.S. Junction boxes fan Box & Wiring etc.

Salient Features

- Ample green surroundings with landscape.
- Heat reflective Roof paint for reflecting the solar radiation back to the atmosphere.
- · Rainwater harvesting system.
- Installation of low flow water fixture
- · Sewage treatment plant.
- Use of good quality single glazing unit glass having better thermal property
- Smoking Free Common Area
- Designed the dwelling units to achieve maximum day light.

(v) Status of the applicant with the unit/Establishment/Institution/ आवेदक का इकाई में स्टेट्स (कृपया रिजओल्युशन की प्रति लगाए ।)



SPECIFICATION - 1 BHK & 2 BHK

S.No	Descriptions	1 BHK (S+4)	2 BHK (S+16)
1	StructureRCC Framed	Stilt Parking with 4 Floors	Stilt Parking with 16 Floors
			RCC Framed
2	Walls	Bricks	Bricks
3	Floor	Vitrified Tiles	Vitrified Tiles
	Common Area	Kota	Kota
	Stairs	Kota	Kota
4	Wall Tiles	Coloured	Coloured
5	Counter Top	Marble Stone	Granite Stone
6	Door-Window		
	Door	MS 'L' with Flush Shutter	MS 'L' with Flush Shutter
	Window	MS Rolled Section with grill	UPVC
7	Finishes		
	External	Plaster with Grit Finish	Plaster with Grit Finish
	Internal	Plaster with OBD	Plaster with OBD
8	Electrical		
	Conduits	PVC	PVC
	Wiring	Multi-Stranded CU-FR	Multi-Stranded CU-FR
	Switches	Modular / Piano Type	Modular / Piano Type
9	Sanitary		
	Chinaware	White – Cera, Parryware, Hindware	White - Cera, Parryware, Hindware
	Water Supply	CPVC/GI	CPVC/GI
	Drainage	CI/PVC	CI/ PVC
	Fittings	СР	CP
10	External Development		
	Road	Upto 4.5 M Interlocking Blocks/ Tiles	Upto 4.5 M Interlocking Blocks/ Tiles
		4.5 M to 6.0 M Concrete Roads/ Tiles	4.5 M to 6.0 M Concrete Roads/ Tiles
	Paving	Interlocking Concrete Blocks/ Tiles	Interlocking Concrete Blocks/Tiles
	Parking	Interlocking Concrete Blocks/ Tiles	Interlocking Concrete Blocks/Tiles